# म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
# 26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र0 / बोर्ड / निर्माण / एस.ओ.आर. / 2327 भोपाल, 21 अगस्त 2014

## परिपत्र

विषयः—मण्डी बोर्ड / मंडी समितियों में म0प्र0 लोक निर्माण विभाग एवं म0प्र0ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रचलित एस. ओ.आर / एस.एस.आर लागू किये जाने विषयक्।

—:—

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड की संचालक मण्डल की 122 वीं बैठक दिनांक 17.02.14 के अतिरिक्त प्रस्ताव क0—03 पर लिये गये निर्णय एवं माननीय मंत्री जी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास सह अध्यक्ष मण्डी बोर्ड से दिनांक 21.8.14 से प्राप्त अनुमोदन के परिपालन में म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय एवं मण्डी समितियों के निर्माण कार्यो के लिए संशोधित प्रक्रिया के तहत निम्नानुसार एस.ओ.आर. जारी दिनांक से प्रभावशील किये जाते है :—

1. मण्डी बोर्ड / मण्डी समितियों द्वारा निर्माण कार्यो के लिए लोक निर्माण विभाग की प्रक्रिया के अनुसार प्रमुख अभियन्ता, म0प्र0लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी / प्रचलित भवन कार्यो हेतु भवन एस.ओ.आर., एवं सडक एवं पुल—पुलिया कार्यो हेतु रोड एवं ब्रिज एस.ओ.आर. तथा विद्युत कार्यो के लिए विद्युत एस.ओ.आर. यथास्थिति मण्डी बोर्ड में प्रभावशील किये जाते है ।

2 ग्रामीण क्षेत्र की सडकों के निर्माण के लिए म0प्र0ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण द्वारा वर्षवार जारी एस.एस.आर. एवं समय—समय पर किये गये संशोधन यथास्थिति मण्डी बोर्ड में भी प्रभावशील किये जाते है।

3 मण्डी बोर्ड / मण्डी समितियों में कराये जाने वाले ट्यूबवेल इत्यादि कार्यो के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जारी यूनिफाईड शेडयूल आफ रेट , जिसे विभाग द्वारा 20 मार्च 2013 से लागू किया गया है,यथा स्थिति मण्डी बोर्ड में प्रभावशील किया जाता है।

निरंतर....2

भविष्य में भी उपरोक्त संबंधित विभागों द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले नवीन एस.ओ.आर./एस.एस.आर. एवं संशोधन इत्यादि यथास्थिति में मण्डी बोर्ड/मण्डी समितियों में भी यथासमय स्वमेव मान्य किये जायेगें। इसके लिए पृथक से मण्डी बोर्ड द्वारा आदेश जारी नहीं किये जावेगें।

समस्त आंचलिक कार्यपालन यंत्री तकनीकी स्वीकृति जारी/प्रस्तावित करते समय तत्समय प्रचलित एस.ओ.आर./एस.एस.आर.की प्रभावशील एवं उनके संशोधन दिनांक का स्पष्ट उल्लेख करेगें।

(कार्यवाही अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

21/8/14

मुख्य अभियंता
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र0/बोर्ड/निर्माण/एस.ओ.आर./2328

भोपाल,21 अगस्त, 2014

प्रतिलिपिः—

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निज सचिव, मान0 मंत्री जी सह अध्यक्ष, मण्डी बोर्ड भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म0प्र0ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण भोपाल
4. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
5. प्रमुख अभियन्ता, म0प्र0 लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
6. प्रमुख अभियन्ता, म0प्र0लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल।
7. अपर संचालक/अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री/सहा0यंत्री मण्डी बोर्ड मुख्यालय।
8. संयुक्त संचालक/उपसंचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय......................(समस्त) ।
9. कार्यपालन यंत्री, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय.............. (समस्त) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि परिपत्र की प्रति अपने स्तर से सभी मंडियों को प्रेषित करें।
10. आदेश नस्ती निर्माण शाखा/स्टोर शाखा ।

21/8/14

मुख्य अभियंता
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल